74

संख्या– 941/XXVII(1)/2015

प्रेषक,

एल.एन. पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
समस्त नगर पंचायतें,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादूनः: दिनांकः 04 अगस्त, 2015**

विषयः– **14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पालिका पंचायतों को मूल अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 की प्रथम किश्त हेतु संकमित धनराशि के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः885/ xxvii(1)/ 2015, दिनांकः 25.07.2015 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा समस्त नगर पंचायतों को संकमित धनराशि कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिस्ताक्षरित किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये संकमित किया गया है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। इस धनराशि को वेतन/पेंशन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या– 941 (1)/XXVII(1)/ 2015, तद्दिनांक। 4/8/15

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/ कुमायूं मण्डल।
3. प्रमुख सचिव/ सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, 43/6, धर्मपुर, माता मन्दिर रोड, देहरादून।
6. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जो.ओ. काम्पलैक्स, नई दिल्ली।
8. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ/ उप कोषाधिकारी–उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन. पन्त)
अपर सचिव,वित्त।